



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1473 वर्ष 2026

अमन मिश्रा

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा एक अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : चित्रकुल विपिनम, वासुदेव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. कुछ बहस के पश्चात, याची को नयी याचिका दाखिल करने के स्वतंत्रता के साथ याची के अधिवक्ता द्वारा नाट प्रेस किये जाने के नाते वर्तमान याचिका को खारिज करने के लिए अनुरोध किया गया है।
2. अनुरोध को अनुज्ञात किया जाता है।
3. तदनुसार, याचिका को स्वतंत्रता जैसा अनुरोध किया गया है के साथ नाट प्रेस होने के नाते खारिज किया जाता है।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"